



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023 / 364(157 / 2023)

दर्ज तिथि:-21.12.2023

1. दीपाराम पुत्र भीखाराम
2. धनाराम पुत्र भीखाराम
जाति जाट निवासी खाणियां तहसील नौखड़ा बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. भैराराम पुत्र बस्तीराम
2. जेठाराम पुत्र बस्तीराम
3. गवरीदेवी पत्नी बस्तीराम
4. जोगेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दराम
5. सुरेशकुमार पुत्र गोविन्दराम फौत के कायम मुकाम-
5/1 कबूदेवी पत्नी सुरेशकुमार
6. लक्ष्मीदेवी पत्नी गोविन्दराम
जाति भाट निवासी खाणिया तहसील नौखड़ा
7. मोटाराम पुत्र पूराराम
8. जेताराम पुत्र पूराराम
9. भैराराम पुत्र जैसाराम
10. वलीदेवी पत्नी शोभाराम
11. गवरीदेवी पत्नी भगाराम
जाति जाट निवासी खाणिया तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
12. आरएमजीबी शाखा होडू तहसील सिणधरी
13. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी
14. तहसीलदार एवं उपपंजीयक नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्णोई

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-19.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1156 / 258 / 0.2428 है0, 1157 / 258 / 1.8211 है0, 1158 / 258 / 31.1931 है0 मौजा खाणिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के हाजिर न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 04.07.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/343 दिनांक 02.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/343 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 21.02.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 855-867 दिनांक 10.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 855-867 दिनांक 10.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
---	---

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1156 / 258 / 0.2428 है0, 1157 / 258 / 1.8211 है0, 1158 / 258 / 31.1931 है0 मौजा खाणिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात् अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार

पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 1156 / 258 / 0.2428 है0, 1157 / 258 / 1.8211 है0, 1158 / 258 / 31.1931 है0 मौजा खाणिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
दीपाराम वल्द भीखाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	खाणिया	1158 / 258	7.3658	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.3658 है0				
धनाराम वल्द भीखाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन-आरएमजीबी शाखा होडू	खाणिया	1158 / 258	7.3658	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.3658 है0				
गवरी पत्नी भगाराम हि0 3904 / 32107 गवरीदेवी पत्नी बस्तीराम हि0 6547 / 160535 जेठाराम वल्द बस्तीराम हि0 18 / 331 जेताराम वल्द पूराराम हि0 7967 / 160535 जोगेन्द्रसिंह वल्द गोविन्दराम हि0 6 / 331 भैराराम वल्द जैसाराम हि0 17926 / 160535 भैराराम वल्द बस्तीराम हि0 18 / 331 मोटाराम वल्द पूराराम हि0 16477 / 32107 लक्ष्मीदेवी पत्नी गोविन्दराम हि0 6 / 331 सुरेशकुमार वल्द गोविन्दराम हि0 6 / 331	खाणिया खाणिया	1157 / 258 1158 / 258	1.8211 14.2324	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 16.0535 है0				

वालीदेवी पत्नी शोभाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	खाणिया	1158 / 258	1.9519	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.9519 है0				
गवरी पत्नी भगाराम हि0 35 / 587 गवरीदेवी पत्नी बस्तीराम हि0 1 / 50 जेठाराम वल्द बस्तीराम हि0 2 / 75 जेठाराम वल्द पुराराम हि0 100 / 4109 जोगेन्द्रसिंह वल्द गोविन्दराम हि0 2 / 225 दीपाराम वल्द भीखाराम हि0 9 / 40 धनाराम वल्द भीखाराम हि0 9 / 40 भैराराम वल्द जैसाराम हि0 225 / 4109 भैराराम वल्द बस्तीराम हि0 2 / 75 मोटाराम वल्द पुराराम हि0 20681 / 82180 लक्ष्मीदेवी पत्नी गोविन्दराम हि0 2 / 225 वालीदेवी पत्नी शोभाराम हि0 35 / 587 सुरेशकुमार वल्द गोविन्दराम हि0 2 / 225 सा0 देह खातेदार (रास्ता हेतु)	खाणिया	1156 / 258 1158 / 258	0.2428 0.2772	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 02 रकबा 00.5200 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023 / 364(157 / 2023)

दर्ज तिथि:-21.12.2023

1. दीपाराम पुत्र भीखाराम
2. धनाराम पुत्र भीखाराम
जाति जाट निवासी खाणियां तहसील नौखड़ा बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. भैराराम पुत्र बस्तीराम
2. जेठाराम पुत्र बस्तीराम
3. गवरीदेवी पत्नी बस्तीराम
4. जोगेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दराम
5. सुरेशकुमार पुत्र गोविन्दराम फौत के कायम मुकाम-
5/1 कबूदेवी पत्नी सुरेशकुमार
6. लक्ष्मीदेवी पत्नी गोविन्दराम
जाति भाट निवासी खाणिया तहसील नौखड़ा
7. मोटाराम पुत्र पूराराम
8. जेताराम पुत्र पूराराम
9. भैराराम पुत्र जैसाराम
10. वलीदेवी पत्नी शोभाराम
11. गवरीदेवी पत्नी भगाराम
जाति जाट निवासी खाणिया तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

12. आरएमजीबी शाखा होडू तहसील सिणधरी
13. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी
14. तहसीलदार एवं उपपंजीयक नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्णोई

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—:पर्चा डिक्री:—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 1156 / 258 / 0.2428 है0, 1157 / 258 / 1.8211 है0, 1158 / 258 / 31.1931 है0 मौजा खाणिया तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
दीपाराम वल्द भीखाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	खाणिया	1158 / 258	7.3658	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.3658 है0				
धनाराम वल्द भीखाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन-आरएमजीबी शाखा होडू	खाणिया	1158 / 258	7.3658	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.3658 है0				
गवरी पत्नी भगाराम हि0 3904 / 32107 गवरीदेवी पत्नी बस्तीराम हि0 6547 / 160535 जेठाराम वल्द बस्तीराम हि0 18 / 331 जेताराम वल्द पूराराम हि0 7967 / 160535 जोगेन्द्रसिंह वल्द गोविन्दराम हि0 6 / 331 भैराराम वल्द जैसाराम हि0 17926 / 160535 भैराराम वल्द बस्तीराम हि0 18 / 331 मोटाराम वल्द पुराराम हि0 16477 / 32107 लक्ष्मीदेवी पत्नी गोविन्दराम हि0 6 / 331 सुरेशकुमार वल्द गोविन्दराम हि0 6 / 331	खाणिया खाणिया	1157 / 258 1158 / 258	1.8211 14.2324	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 16.0535 है0				
वालीदेवी पत्नी शोभाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	खाणिया	1158 / 258	1.9519	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.9519 है0				
गवरी पत्नी भगाराम हि0 35 / 587 गवरीदेवी पत्नी बस्तीराम हि0 1 / 50 जेठाराम वल्द बस्तीराम हि0 2 / 75 जेताराम वल्द पुराराम हि0 100 / 4109 जोगेन्द्रसिंह वल्द गोविन्दराम हि0 2 / 225 दीपाराम वल्द भीखाराम हि0 9 / 40 धनाराम वल्द भीखाराम हि0 9 / 40 भैराराम वल्द जैसाराम हि0 225 / 4109	खाणिया	1156 / 258 1158 / 258	0.2428 0.2772	गै0मु0 रास्ता

भैराराम वल्द बस्तीराम हि0 2 / 75 मोटाराम वल्द पुराराम हि0 20681 / 82180 लक्ष्मीदेवी पत्नी गोविन्दराम हि0 2 / 225 वालीदेवी पत्नी शोभाराम हि0 35 / 587 सुरेशकुमार वल्द गोविन्दराम हि0 2 / 225 सा0 देह खातेदार (रास्ता हेतु)				
कुल किता 02 रकबा 00.5200 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

